(122)

2234

पथों के अधिग्रहण के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव महोदय की अध्यक्षता में विभागीय संकल्प के क्रम में दिनांक-- 05-09-19 को समिति की बैठक आहूत की गई, बैठक में उपस्थिति इस प्रकार रही :-

(1). प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग।

(2) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग।

(3) मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग।

(4) मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग।

(5) मुख्य अभियंता, सीमांचल, पथ निर्माण विभाग।

(6) मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग।

(7) मुख्य अभियंता,राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग।

(8) मुख्य अभियंता,राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग, पथ निर्माण विभाग।

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग
20 SEP 2019
13059
बिहार, पटना

राज्य सरकार के रोड डेवलपमेंट विजन 2020 के अधीन राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना आने में अधिकतम 5 घंटे का समय लगे, इस निमित संबंधित विभागीय पथों के साथ--साथ अन्य विभागों के स्वामित्व वाले पथों का अधिग्रहण तथा तद्नुसार यातायात घनत्व एवं वाहन भार के अनुसार पर्याप्त चौड़ाई एवं क्रस्ट को विकसित करना आवश्यक है।

उक्त के आलोक में पथ निर्माण विभाग द्वारा अन्य विभाग के पथों के अधिग्रहण हेतु निम्नांकित मापदण्ड निर्धारित किय गये है :-

(i) पथ, सरकारी निकाय/ संस्थान/ पर्षद/ विभाग के अधीन हो एवं पूर्व से पथ का मार्ग रेखांकण (alignment) निर्धारित हो।

(ii) ऐसे पथ जो दो राष्ट्रीय उच्च पथों, दो राज्य उच्च पथों, एक राज्य उच्च पथ को दूसरे वृहद् जिला पथ, एक राष्ट्रीय उच्च पथ से दूसरे राज्य उच्च पथ या वृहद् जिला पथ अथवा दो वृहद् जिला पथों अथवा महत्वपूर्ण स्थानों यथा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन क्षेत्र, विकासशील आद्योगिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र इत्यादि को जोड़ता हो।

(iii) पटना राजधानी क्षेत्र (Patna Capital Region) एवं शहरी क्षेत्र में पडने वाले पथों के मामले में पथ भूमि की चौड़ाई (Right of Way) 8.5 मीटर वांछनीय होगी, परन्तु न्यूनतम 6.0 मीटर पथ चौड़ाई के पथों का चयन किया जायेगा, बशर्ते भविष्य में उसकी चौड़ीकरण की सम्भाव्यता हो।

...-4 (मु0), ग्रामीण ...
पत्र प्राप्ति
23 SEP 2019
संख्या......
बिहार, पटना

(iv) पथ विकास दृष्टिपथ-2020 के अनुरूप निर्धारित नीति/ लक्ष्य के आलोक में ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले पथों के मामले में पथ भूमि की चौड़ाई (Right of Way) 8.5 मीटर वांछनीय होगी,परन्तु न्यूनतम 6.0 मीटर चौडाई के पथों का भी चयन किया जायेगा, बशर्ते भविष्य में उसकी चौड़ीकरण की सम्भाव्यता हो। साथ ही पथ में यातायात घनत्व कम से कम 2000 PCU/ दिन हो।

(v) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्तावित द्वितीय चरण के अन्तर्गत उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रस्तावित ग्रामीण पथों का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा।

(vi) विशेष परिस्थिति में पथ श्रृंखला के विकास (Road Network Development) पर्यटन राज्य सीमा से सबंधित पथों के लिए उपरोक्त निर्धारित मापदंड में छुट दिया जा सकेगा।

(vii) वैसे पथों जो किसी सघन आबादी क्षेत्र को वृहद जिला पथ/ राज्य उच्च पथ/ राष्ट्रीय उच्च पथ को बाईपास करता हो उसे पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण की जा सकती है, जिसके लिए अन्य शर्त्तों में छूट दी जा सकती है।

5.9.19

(122)

(viii) पथ विकास दृष्टिपथ–2020 के अन्तर्गत बिहार के किसी दुरस्थ स्थान से 5 घंटे में पटना पहुंचने के मद्देनजर वैकल्पिक पथ के रूप में किसी ग्रामीण पथों का चयन कर अधिग्रहण किया जा सकेगा, जिसके लिए अधिग्रहण के उपरोक्त शर्तों में छूट दिया जा सकेगा।

(ix) पथ में कोई दायित्व लंबित न हो। अन्य विभाग से हस्तांतरित पथ, जो पूर्व में सरकार के किसी भी योजना के अन्तर्गत निर्मित की गयी हो और आम जनों द्वारा जिसका उपयोग किया जाता है, वैसे पथों को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण के पश्चात् वर्त्तमान ROW (Right of Way) पर किसी भी रैयत का किसी भी प्रकार की भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का दावा राज्य सरकार और पथ निर्माण विभाग द्वारा मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण से अधिग्रहण हेतु विहित प्रपत्र में प्राप्त 01 (एक) अनुशंसित पथ पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण/निर्माण एवं रख–रखाव हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार उद्धृत अनुशंसा की गई।

संलग्न विवरणी में प्रमंडलवार अनुशंसित पथों की संख्या निम्नवत है:–

प्रमंडल	पथों की संख्या
पथ प्रमंडल संख्या–01, गया।	1

अनुशंसित कुल पथों की संख्या –1

05/09/19
मुख्य अभियंता, उत्तर,
पथ निर्माण विभाग।

05-9-19
मुख्य अभियंता, दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग।

05.09.19
मुख्य अभियंता, सीमांचल,
पथ निर्माण विभाग।

5/9/19
मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर)
उपभाग, पथ निर्माण विभाग।

5.9.19
मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण)
उपभाग, पथ निर्माण विभाग।

मुख्य अभियंता
(अनुश्रवण),
पथ निर्माण विभाग।

अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग।

5/9/19
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग।

ज्ञापांकः– प्र०–11/पथ अधि०–02–02/2017– 7261 (E) पटना, दिनांक– 18/9/19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, उत्तर, प०नि०वि०, पटना/ मुख्य अभियंता, दक्षिण, प०नि०वि०, पटना/ मुख्य अभियंता, सीमांचल, प०नि०वि०, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, प०नि०वि०, पटना/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग, प०नि०वि०, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०–01, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(भवानी नन्दन)
अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
<u>ग्रामीण कार्य विभाग</u>

ज्ञापांकः–11/अ0प्र0–13–56/2018 7218 पटना, दिनांक– ~~7175~~ 10.10.19

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/19

अभियंता प्रमुख

(12)

पथ निर्माण विभाग

अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव (2018–19)

Sl. No	ame of Division	Name of Road	स्वामित्व	Total Length (in K.m)	Lane Width (in M.)	Source	अन्य विभाग से अधिग्रहित पथ एवं वर्ष एवं अधिग्रहण के पश्चात् कराये गये कार्य की विवरणी	Chainage	PR/IRQP/WS हेतु प्रस्तावित	चौड़ीकरण हेतु भूमि की उपलब्धता की स्थिति आर०ओ०डब्लू० (मीटर)	Length (in K.M)	Estimated cost (in Crore)	अभ्युक्ति	फिजिबिलिटि प्रतिवेदन प्राप्त/ अप्राप्त	पथ स्थिति (अच्छा/ खराब)	मुख्य अभियंता की अनुशंसा अधिग्रहण करने की अर्हता रखता है अथवा नही।	समिति की अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Road Division No.-1, Gaya	बथानी से कटारी मोड़ भाया–कमलपुर पचम्भा नेकपुर पथ	ग्रामीण कार्य विभाग	12.00 कि०मी०	From CH-0.00 Km to 0.40 Km (3.65m) from CH-0.40 Km to 2.10 Km (3.05m) and from CH- 2.10 Km to 12.00 Km (3.65m)	नहीं	-	0.0 से 12.00 कि०मी०	W/S	Row 6-9 मी० (औसतन)	12.00 कि०मी०	22.00	यह पथ एम०डी०आर० पथ नीमचक बथानी प्रखण्ड से प्रारम्भ होकर कटारी मोड़, जो जहानाबाद–इस्लामपुर–राजगीर पथ (एस०एच०–71) के 56वां कि०मी० पर अवस्थित है, जाकर समाप्त होती है, जिसके पास ही नया राजगीर पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है। यह पथ बन जाने पर गया से खिजरसराय, टैऊसा बाजार, अतरी एवं नीमचक बथानी प्रखण्ड होते हुए सीधे राजगीर तक एक अच्छा सम्पर्क पथ हो जायेगा। इसमें 0.00 कि०मी० तक बथानी बाजार भाग पड़ता है, जो अतिसंकीर्ण है। अतः 1.00 कि०मी० बाईपास बनाना अतिआवश्यक है।	प्राप्त	अंशतः खराब	योग्य	